संख्या-12/2023/95/छप्पन-2023-93/2017टी.सी.

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2023

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की दिनांक 12 दिसम्बर 2022 की शासकीय उड़ान को वाह्य संस्था मेसर्स सेफ फ्लाई एविएशन सर्विसेज प्रा0लि0, नई दिल्ली के फाल्कन वायुयान से लखनऊ-अहमदाबाद-हिन्डन से कराए जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त उड़ान में व्यय हुई धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10/ना0उ0नि0/आप्स-51/2023 दिनांक 16 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध हॉकर 900 एक्सपी राजकीय वायुयान पर मेजर मेंटीनेंस होने से उड़ान हेतु उपलब्ध न होने के कारण मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को वाह्य संस्था मेसर्स सेफ फ्लाई एविएशन सर्विसेज प्रा0लि0, नई दिल्ली के फाल्कन वायुयान से लखनऊ-अहमदाबाद-हिन्डन की शासकीय उड़ान सम्पादित करायी गयी थी। अत: श्री राज्यपाल मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की दिनांक 12 दिसम्बर 2022 की शासकीय उड़ान को वाह्य संस्था मेसर्स सेफ फ्लाई एविएशन सर्विसेज प्रा0लि0, नई दिल्ली के फाल्कन वायुयान से लखनऊ-अहमदाबाद-हिन्डन से कराए जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त उड़ान में व्यय हुई धनराशि कुल रू0 28,60,123/- (रुपए अट्ठाईस लाख साठ हजार एक सौ तेईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

6- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन ''राजस्व लेखा लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाए-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 12/2023/95(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in